न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 35/2020–21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

मुकेश भेंगरा – विक्रेता

अमृत पुर्ती – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
21.12.20	(see below)	

21.12.20

आदेश

आवेदक मुकेश भेंगरा पिता स्व0 मनसिद्ध भेंगरा ग्राम–बिचना, पो0–बिचना, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने अमृत पुर्ती पिता गाब्रिएल पुर्ती ग्राम ग्राम–गनगीरा, पो0–मुरहू, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
बिचना	262	07	1318	0.30

विक्रेता मुकेश भेंगरा पिता स्व0 मनसिद्ध भेंगरा ग्राम–बिचना, पो0–बिचना, थाना मुरहू द्वारा लिखित रूप से आवेदन देते हुए वाद खारिज करने का अनुरोध किया गया है एवं अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 877 दिनांक 17.12.20 के अनुसार आवेदित खाता प्लॉट में पूर्व अनुमति वाद संख्या 454/2019–20 से पूर्व में ही निष्पादन बताते हुए भूमि बिक्री हेतु अनुशंसा नहीं किया गया है।

अतः विक्रेता द्वारा प्राप्त आवेदन के अनुरोध एवं अंचल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आलोक में वाद खारिज किया जाता है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

(हस्ताक्षर) 21/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

(हस्ताक्षर) 21/12/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।